File No. A-12018/04/2021-EPI
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Directorate General of Health Services

Public Notice on draft Recruitment Rules for the post of Administrative Officer in Level -8 at BCGVL, Chennai.

In compliance with DoPT OM No. AB. 14017/61/2008- Estt.(RR) dated 13.10.2015 the draft Recruitment Rules for the post of Administrative Officer at BCGVL Chennal (Hindi / English language) is annexed.

The stakeholders interested in making any objections/comments or suggestions on the draft Recruitment Rules may do so in writing, within a period of 30 days from the date of publication of draft recruitment Rules to Deputy Director (EPI). Room No.564 'A'. Wing. Directorate General of Health Services. Nirman Bhawan New Delhi-110011 and the soft copy may be sent to mail **epidghs@gmail.com.**

(Hauliankap Suantah)
Deputy Director

New Delhi

Dated

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Health and Family Welfare

Notification

New Delhi, Dated the 2024

G.S.R. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy ,Madras, Recruitment Rules,1978 in so far as they relate to the post of Administrative Officer ,except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai in the Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

1. **Short title and commencement .- (1)** These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Administrative Officer (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.-** The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax .-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non - selection.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Administrative Officer	1* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Master Degree from recognized University or equivalent and two years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Central/State Government Office/PSU/Autonomous body/Statutory body.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: Not applicable EQ: Degree from recognized University or equivalent .	2 years for Direct Recruits	By Promotion failing which by deputation failing both by Direct Recruitment	**Promotion:** Office Superintendent in level-6 (Rs. 35400 -112400) in pay matrix with six years of regular service in the grade. **Deputation**: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories Administration or Public Sector Undertaking or Universities or Recognised Research Institutions or Autonomous or Statuary Bodies:-	**Group 'B'Gazetted Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (i)Deputy Director General (P), Directorate General of Health Services — Chairman; (ii) Director, EPI Directorate General of Health Services — Member; (iii) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai —	Consultation with UPSC is not necessary.

			(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with 6 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department and (b)Possessing the following qualification and experience; (i) Bachelor degree from the recognized University or institute; and (ii)Two years' experience in Accounts, Administration, Establishment work **Note 1**: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment under these rules in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceeding three years.	Member; (iv) Deputy Director (EPI) Directorate General of Health Services —Member **Group 'B'Gazetted Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (i)Deputy Director General (P), Directorate General of Health Services — Chairman; (ii) Director, EPI Directorate General of Health Services — Member; (iii) Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai — Member; (iv) Deputy Director (EPI) Directorate General of Health Services —Member	

			Note 3: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56		

(File No. A-12018/05/2022-EPI)

(Rajesh Kumar)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2024

सा. का. नि. -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, मद्रास, भर्ती नियम, 1978 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रशासनिक अधिकारी के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले क्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी	1* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600 - 151100 रुपये)।	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री या समतुल्य और किसी केंद्र/राज्य सरकार के कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापना के कार्य का दो वर्षों का अनुभव।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु: लागू नहीं होता शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और इन दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6(35400-112400 रुपये) में ऐसे कार्यालय अधीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्षों की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6(35400-112400 रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में नियमित आधार पर 6 वर्षों की सेवा की है; और; (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं; (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और (ii) लेखा, प्रशासन, स्थापना स्थापना के कार्य का दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनिुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' राजपत्रित विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (I) उप महानिदेशक(पी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; (ii) निदेशक, इपीआई स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (iii)निदेशक, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई -सदस्य; (iv) उप निदेशक(इपीआई) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य **समूह 'ख' राजपत्रित विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (I) उप महानिदेशक(पी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; (ii) निदेशक, इपीआई स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; (iii)निदेशक, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई -सदस्य; (iv) उप निदेशक(इपीआई) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/05/2022-ईपीआई]

(राजेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार